

माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण

शासनादेश संख्या/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण

क्र० सं०	शुल्क का नाम	कक्षा 11 व 12	कक्षा 09 व 10	दर	अन्य विवरण(शासनादेश का विवरण जिसके आधार पर सम्बन्धित शुल्क की दरों का पुनरीक्षण हुआ)
1	2	3	4	5	6
1	शिक्षण शुल्क				शा० सं०/909/XXIV-3/13/02(58)2013
	कला एवं वाणिज्य वर्ग	25	20	मासिक	माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-03 जून 2013
	विज्ञान वर्ग	30	20	मासिक	
2	विलम्ब दण्ड	0	0	समाप्त	
3	अनुपस्थित दण्ड	0	0	समाप्त	
4	मंहगाई शुल्क	1	1	मासिक	शासनादेश संख्या/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005
5	विकास विकास शुल्क	8	5	मासिक	
6	विज्ञान शुल्क	5	2	मासिक	शा० सं०-380 के अनुसार विज्ञान शुल्क कक्षा-09 व 10 में 02.00 एवं कक्षा-11 व 12 में 04.00 था
7	रेडकास शुल्क	1	1	मासिक	शा० सं०/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005
8	क्रीडा शुल्क	3	3	मासिक	21 नवम्बर 2005 के अनुसार कक्षा 09 से 12 तक 02.00 रुपये था वर्तमान शासनादेश अज्ञात
9	स्काउट शुल्क	2	2	मासिक	शा० सं०/01/XXIV-5/ शिक्षा अनुभाग-5, देहरादून, दिनांक-30 मार्च, 2011
10	प्रगति पत्र	2	2	वार्षिक	शा० सं० 21-11-2005 के अनुसार कक्षा 09 व 10 में 1.00 एवं 11 व 12 में 1.00 रुपये था वर्तमान शासनादेश अज्ञात
11	पुस्तकालय/वाचनालय	10	10	वार्षिक	शा० सं०/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005
12	गृह परीक्षा शुल्क	15	12	छमाही	शा० सं० 21-11-2005 के अनुसार कक्षा 09 व 10 में 10 एवं 11 व 12 में 12 रुपये था वर्तमान शासनादेश अज्ञात
13	निर्धन छात्र निधि शुल्क	3	3	छमाही	शा० सं०/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005
14	जलपान शुल्क	3	3	छमाही	21 नवम्बर 2005 के अनुसार कक्षा 09 से 12 तक 02.00 रुपये था वर्तमान शासनादेश अज्ञात
15	ग्रन्थ-दृश्य शुल्क	2	2	छमाही	शा० सं०/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005
16	वाहन शुल्क				शासनादेश संख्या/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005(वर्तमान में यह शुल्क नहीं लिया जाता है, न लिये जाने का शासनादेश अज्ञात)
	छात्राओं हेतु	5	5	मासिक	
	अध्यापकों हेतु	50	0	मासिक	
17	विद्युत शुल्क	2	2	छमाही	21 नवम्बर 2005 के अनुसार कक्षा 09 से 12 में 02.00 रुपये था वर्तमान शासनादेश अज्ञात
18	पत्रिका शुल्क	2	2	वार्षिक	शा० सं०/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005(इस विषय में नहीं लिया जाता है।)
19	भूगोल शुल्क	5	0	मासिक	शासनादेश अज्ञात
20	कम्प्यूटर शुल्क	10	10	मासिक	शासनादेश अज्ञात
21	बोर्ड परीक्षा अंक पत्र शुल्क (कैवल-कक्षा-10 एवं 12 के छात्रों से)	5	5	वार्षिक	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा समन्वय (जैनीताल) के बोर्ड परीक्षा शुल्क के अन्तर्गत अंक पत्र हेतु कक्षा-10 एवं 12 के छात्रों हेतु 10.00 रु०/छात्र लिये जाने का प्रावधान है। जिसमें कि 05.00 रु०/छात्र विद्यालय स्तर पर जिसका प्रयोग नामावली तथा संख्या सूचक चक बनाने एवं प्रारंभिक प्रदान करने की प्रक्रिया में डाक-व्यय तथा लेखन सामग्री आदि मदों में व्यय हेतु किया जायेगा।
22	नवीन पंजीकरण (कोषागार शुल्क)	1	1	-	शासनादेश अज्ञात(विद्यालय में प्रथम बार प्रवेश लेने पर)
23	पुनः प्रवेश (कोषागार शुल्क)	5	5	-	शासनादेश अज्ञात(कक्षा से टी०सी० निर्गत के उपरान्त पुनः प्रवेश लेने पर)
24	छात्र परावर्तन (कोषागार शुल्क)	1	1	-	शासनादेश अज्ञात(टी०सी० निर्गत करने पर कक्षा-06 से 12 तक)
25	विद्यालय अनुदान निधि	9	9	-	शासनादेश अज्ञात(नवीन प्रवेश/पुनः प्रवेश/टी०सी० निर्गत करने पर)

नोट:-क्र०सं०-01 से 18 तक के शुल्क का विवरण शा० सं०/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005 के पत्र में विहित है।

उक्त शासनादेश 21 नवम्बर, 2005 में कला शुल्क, पर्यावरण, भूगोल, नवीन प्रवेश, पुनः प्रवेश, छात्र परावर्तन(टी०सी० निर्गत शुल्क) के शुल्क की अंक्रना नहीं है।

1	शिक्षण शुल्क (एस०सी०/एस०टी०)	50 प्रतिशत निर्धारित शुल्क का एवं सभी छात्राओं हेतु शुन्य।
2	मंहगाई शुल्क(एस०सी०/एस०टी०)	शुन्य
3	विकास शुल्क(एस०सी०/एस०टी०)	शुन्य

शासनादेशों एवं पत्रों में प्राप्त अंक्रना के आधार पर।

(Signature)

**Principal
A.U. G.I.C. Guptakashi
Distt. Rudraprayag**